I. 17731/13

VINAY KUMAR ... LUCKNOW

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00194757045039L
Certificate Issued Date	:	17-Dec-2013 11:32 AM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100215816694921L
Purchased by	:	RIYAZ AHMAD AND MAQSOOD AHMAD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PART OF KHASRA PLOT NO 416 AND 417 AT MOHIBULLPUR PARGNA TEHSIL AND DISTRICT LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	21,00,000 (Twenty One Lakh only)
First Party	:	SHRI K K SHARMA DISTRICT JUDGE
Second Party	:	RIYAZ AHMAD AND MAQSOOD AHMAD
Stamp Duty Paid By	:	RIYAZ AHMAD AND MAQSOOD AHMAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	46,94,650 (Forty Six Lakh Ninety Four Thousand Six Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

STAMP PAPER ... USED

Sub-Registrar (IV)
Lucknow Sadar (J.F.)

0000003657

VINAY KUMAR SHCIL LUCKNOW

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Base Certificate No.	:	IN-UP00194757045039L
Certificate No.	:	IN-UP00194770545662L
Certificate Issued Date	:	17-Dec-2013 11:39 AM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01002158816339700L
Purchased by	:	RIYAZ AHMAD AND MAQSOOD AHMAD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PART OF KHASRA PLOT NO 416 AND 417 AT MOHIBULLPUR PARGNA TEHSIL AND DISTRICT LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	21,00,000 (Twenty One Lakh only)
First Party	:	SHRI K K SHARMA DISTRICT JUDGE
Second Party	:	RIYAZ AHMAD AND MAQSOOD AHMAD
Stamp Duty Paid By	:	RIYAZ AHMAD AND MAQSOOD AHMAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	46,94,650 (Forty Six Lakh Ninety Four Thousand Six Hundred And Fifty only)

STAMP PAPER USED

Sub-Registrar (IV)
Lucknow Sadar (U.P.)

Please write or type below this line

0000003658

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार से जारी
C 940524
10 DEC 2013
अ./कोषाधिकारी
कोषागार

(3)

विक्रय मूल्य : रु0 42,00,000/-
मालियत : रु0 13,69,88,843/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 95,89,300/-
वार्ड : फैजुल्लागंज

-: विक्रय-पत्र :-

मनकि श्री के0के0 शर्मा, जिला जज, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी के.के. त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ का हूँ।

जो कि मध्यस्थ श्री मोहम्मद तारिक खाँ द्वारा दिनांक 20.12.2008 को एक अवार्ड इस बाबत पारित किया गया कि निम्नलिखित सम्पत्ति के बाबत डिक्रीदार रियाज अहमद पुत्र मो0 हुसैन एवं मकसूद अहमद पुत्र स्व0 मो0 सिद्दीक क्रमशः रु0 21,00,000/- (रूपया इक्कीस लाख मात्र) व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 940525
10 DEC 2013

रू0 21,00,000/- (रूपया इक्कीस लाख मात्र) निर्णीत ऋणी को अदा करेगा एवं उक्त धनराशि प्राप्त होने पर निर्णीत ऋणी (1) श्रीमती मधु महेश्वरी पत्नी स्व0 गोपाल दास (2) रूचित महेश्वरी पुत्र स्व0 गोपाल दास (3) मुदित महेश्वरी पुत्र स्व0 गोपाल दास (4) मनोज कुमार पुत्र स्व0 रुप चन्द्र (5) श्रीमती कुसुम महेश्वरी पत्नी स्व0 हनुमान दास, समस्त निवासीगण 4, यदुनाथ सान्याल रोड, लखनऊ (निर्णीत ऋणी) डिक्रीदार के पक्ष में प्रश्नगत सम्पत्ति का बैनामा का निष्पादन व पंजीकरण करेगें।

यह कि बावजूद उक्त धनराशि रू0 21,00,000/- (रूपया इककीस लाख मात्र) + रू0 21,00,000/- (रूपया इक्कीस लाख मात्र) = रू0 42,00,000/- (रूपया बयालिस लाख मांत्र) डिक्रीदार द्वारा अदा किए जाने पर भी उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 940526

निर्णीत ऋणी द्वारा निम्नलिखित भूमि के बाबत बैनामा निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः क्रेता/डिक्रीदार द्वारा इजरा वाद की कार्यवाही द्वारा याचना की गई कि विक्रेतागण को मध्यस्थ द्वारा पारित अभिनिर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित भूमि का बैनामा निष्पादित किया जाये एवं दौरान इजरा वाद निर्णीत ऋणी संख्या-2 मनोज कुमार एवं निर्णीत ऋणी संख्या-3 श्रीमती कुसुम महेश्वरी द्वारा उक्त भूमि का एक भाग रकबा 38566 वर्गफुट का बैनामा पूर्व में किया जा चुका है अब शेष भूमि रकबा 100000 वर्गफुट का बैनामा होना शेष है।

अतः मैं के0के0 शर्मा जिला जज, लखनऊ मध्यस्थ द्वारा पारित अभिनिर्णय के अनुसार निम्नलिखित भूमि का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 940527
10 DEC 2013

(6)

बैनामा रियाज अहमद पुत्र मो0 हुसैन निवासी– 475/41–ए, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ व मकसूद अहमद पुत्र स्व0 मोहम्मद सिद्दीक, निवासी भवन संख्या 179/7, बारूदखाना, गोलागंज, लखनऊ के पक्ष में निम्न शर्तो पर करता हूँ :–

1. यह कि उक्त जायदाद (भूमि) का कब्जा क्रेता को प्रदान कर दिया गया है।

2. यह कि अब विक्रेता (निर्णीत ऋणी) या उनके वारिसान को कोई अधिकार विक्रीत सम्पत्ति में बाकी नहीं रहा। यदि कोई दीगर शख्स किसी प्रकार का दावा उक्त जायदाद के बारे में करें अथवा अधिकार जतावे तो यह बमुकाबले बैनामा हाजा अवैधानिक होगा।

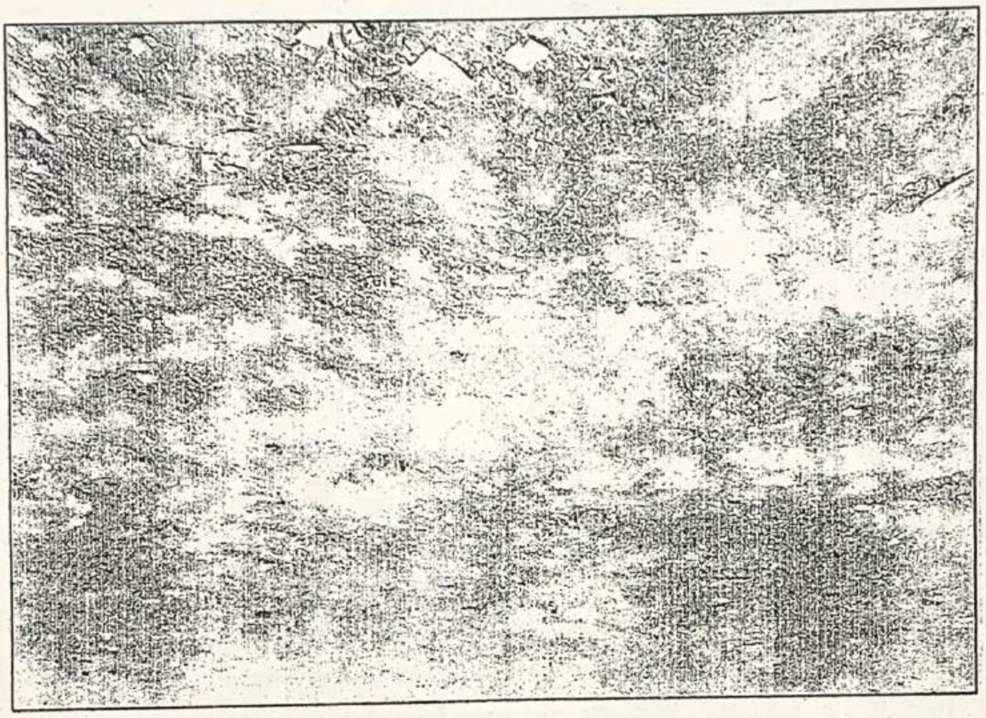

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 940528

10 DEC 2013

3. यह कि जो हक व हकूक आज तक निर्णीत ऋणी (विक्रेता) का उक्त विक्रीत जायदाद में था वह सब क्रेता को हासिल हो गया। अब क्रेता रियाज अहमद व मकसूद अहमद को पूरा अधिकार है कि उक्त जायदाद को जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें। रियाज अहमद व मकसूद अहमद (क्रेता) आज की तारीख से विक्रीत जायदाद के पूर्ण रुप से मालिक, कामिल व काबिज हो गए।

4. यह कि विक्रीत जायदाद अथवा उसका कोई भाग किसी की दावेदारी से निकल जावे अथवा क्रेता को उक्त जायदाद या उसके किसी भाग का कब्जा न मिले तो कब्जा पाने में जो कुछ भी खर्च होगा वह सब विपक्षीगण (विक्रेता) वहन करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 940529

(8)

5. यह कि विदित हो कि विक्रीत सम्पत्ति के मूल्यांकन एवं स्टाम्प अदायगी हेतु पूर्व में कार्यालय उपनिबन्धक (चतुर्थ), लखनऊ की आख्या दिनांक 31.07.2012 के अनुसार विक्रीत सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रचलित दर के आधार पर किया गया था जिसके विरूद्ध डिक्रीदार द्वारा आपत्ति दाखिल की गई। उपरोक्त रिपोर्ट एवं दाखिल आपत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई एवं दिनांक 18.11.2013 को न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा उपनिबन्धक (चतुर्थ) लखनऊ के द्वारा दी गयी आख्या को निरस्त किया एवं निर्देशित किया कि प्रस्तावित विक्रय विलेख के स्टाम्प अदायगी के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2008 को जो भी जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत निकलती हो उसी दर पर ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जाये।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 940530
10 DEC 2013

(9)

6. यह कि विक्रीत जायदाद नगर निगम सीमा के अन्दर ग्राम मोहिबुल्लापुर में स्थित है जो कि आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक की श्रेणी में नही आती है। चूंकि भूमि सीतापुर रोड के किनारे स्थित है अतः भूमि का मूल्यांकन परिशिष्ठ–क के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है :–

प्रचलित स्टाम्प निर्धारित सूची दिनांकित 25.10.2007 के अनुसार भूमि का मूल्य रु0 13,400/– प्रति वर्गमीटर की दर से 9293.68 X 13400 = 12,45,35,316/– होता है चूंकि विक्रीत भूमि कार्नर पर स्थित है अतः 10 प्रतिशत अधिक जोड़ते हुए कुल मूल्यांकन रु0 13,69,88,848/– होता है जिस पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क रु0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 940531
10 DEC 2013

95,89,300/– का स्टाम्प शुल्क निम्न प्रकार से अदा किया जा रहा है :–

क) रू0 46,94,650/– (रुपया छियालिस लाख चौरान्बे हजार छः सौ पचास मात्र) ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट संख्या– IN-UP00194770545662L दिनांक 17.12.2013

ख) रू0 46,94,650/– (रुपया छियालिस लाख चौरान्बे हजार छः सौ पचास मात्र) ई–स्टाम्प सर्टीफिकेट संख्या– IN-UP00194757045039L दिनांक 17.12.2013

ग) शेष रू0 2,00,000/– (रुपया दो लाख मात्र) का जनरल स्टाम्प।

अतः यह विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

विवरण जायदाद

भूमि खसरा संख्या 416 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं भूमि खसरा संख्या 417 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा 16 बिस्वांसी का जुज हिस्सा रकबा 100000 वर्गफुट अर्थात 9293.68 वर्गमीटर, स्थित ग्राम मोहिबुल्लापुर, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है :-

पूरब	:	सम्पत्ति रेलवे विभाग
पश्चिम	:	सीतापुर रोड
उत्तर	:	शेष भूमि खसरा संख्या 416 व 417
दक्षिण	:	रास्ता

विवरण विक्रय मूल्य

रू0 42,00,000/- (रुपया बयालिस लाख मात्र) नकद, पूर्व में अदा किया गया।

लखनऊ
दिनांक : 18 12.2013

गवाहान :-

1. मो॰ सलीम खान
मो॰ अजीम खान
पता टिकैतगंज ... लखनऊ

विक्रेता

2. Siviil Court Lucknow

क्रेता

मसविदाकर्ता ... प्रथमपक्ष

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सुरैचा परगना : (बाड़ी) तहसील : सिधौली जनपद : सीतापुर फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1 खाता संख्या : 00020

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
आशारानी उर्फ राजे पुत्री शिवकुमार / पत्नी जितेन्द्र कुमार बाज / नि.पेई मोमा कोमलदेवी / पत्नी कमलेशकुमार / नि.सुरैचा रामगोपाल / कमलेश कुमार / नि. ग्राम श्रीमती पूनम देवी / प0स्वदेश कुमार / नि0 37/38 रघुराज नगर लखनऊ रामगोपाल / कमलेश / नि.ग्राम श्यामगोपाल / कमलेश / नि.ग्राम कु0 रंजना / कमलेश / नि.ग्राम कु0 प्रीती / कमलेश / नि.ग्राम श्रीमती कमला देवी / स्व0 कमलेश / नि.ग्राम	1039	1.0340	1424फ0-शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा मानपारा के पत्र पर ना0तह0सिधौली के आदेश दि0 15.02.17 के क्रम मे खातेदार रामगोपाल पुत्र कमलेश कुमार की भूमि गाटा सं0 1039 बैंक से 74000/-रु0 ऋण लेने के कारण बैंक के पक्ष मे बन्धक की जाती है। ह0र0का0-15.02.17 1425फ0-शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा मानपारा के पत्र पर ना0तह0सिधौली के आदेश दि0 19.04.18 के क्रम मे खातेदार रामगोपाल पुत्र कमलेश कुमार की भूमि गाटा सं0 1039 बैंक का समस्त ऋण अदा कर देने के कारण बैंक से बन्धक मुक्त की जाती है। ह0र0का019.04.18 1425फ0 न्या0तह0सिधौली वाद सं0 553/22.04.18 आदेश हुआ कि खाता सं0 20 की गाटा सं0 1039/1.034हे0 मा0गु060 ख से रामगोपाल पुत्र कमलेश कुमार नि0सुरैचा के नाम के साथ श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 कमलेश नि0सुरैचा का नाम जरिए बैनामा सं0भू0 सह0 दर्ज हो। ह0र0का0 04.05.18	
योग	1	1.0340		

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 2189722017111

ग्राम क्रमांक : 218972 ग्राम का नाम / परगना : महिबुल्लापुर(लखनऊ) तहसील : लखनऊ जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1422-1427 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार मे हो।							
00055	गोपाल दास / रूप चन्द / नि इन्दर गंज मनोज कु मार / रूप चन्द / नि इन्दर गंज श्रीमती कु सुम महेश्वरी / पत्नी हनोमान दास / नि जटुनाथ सनियाल रोड लखनऊ	1381फसे 1381फसे	416 417	0.5440 0.7430		आदेश तहसीलदार (न्यायिक) सदर लखनऊ वाद सं. 1261/186/27.11.12 ग्राम महिबुल्लापुर प.त.जि. लखनऊके खाता सं. 473 पर दर्ज आदेश दिनांक 29.8.1986का अनुपालन मौजूजा फसली वर्ष 1416-21 फ. केखाता सं. 60 की खतौनी पर किया जाय। आदेश दि.29.8.1986इस प्रकार है कि आदेश अपर तहसीलदार सदर लखनऊ वाद सं. 44/723/ 29.8.86 वसीयतनामा दि. 12.5.74 के आधार पर गाटा सं. 4162-3-0-0 व 417/2-18-16 के सम्बन्ध में सु.का.के आदेश में संशोधन करते हुये श्री हनोमान गोपालदास, मनोज कुमार पुत्रगण रूपचन्द्र के साथ - साथ मृतक श्रीमती कमला देवी पुत्रीया सुधा रानी, इन्द्रा रानी, हरिशंकर व राजेन्द कुमार पुत्रगण हरिशंकर व श्रीमती तारा देवी पत्नी देवनारायन नि. राजेन्द नगर लखनऊ का नाम दर्ज किया जाय। ह.र.का. 4.12.12 आदेश तहसीलदार वाद सं.1935/14.5.16खाता सं.55की गाटा सं.416रकबा 0.5440हे.व 417 रकबा 0.7430हे.कुल रकबा 1.2870हे.में से रकबा 0.9293हे.मा.गु.60ख से विक्रेता (निर्णीत ऋणी)श्रीमती मधु महेश्वरी पत्नी स्व.रामगोपाल दास व सचित महेश्वरी व मुदित महेश्वरी पुत्र गण स्व.रामगा[illegible]	

				दास व मनोज कुमार पुत्र स्व.रूपचन्द्र व श्रीमती कुसुम महेश्वरी पत्नी स्व.हनुमान दास की तरफ से बैनामा कर्ता श्री के.के.शर्मा जिला जज लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी के.के.त्रिपाठी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता रियाज अहमद पुत्र मो.हुसैन नि.475/41ए कदम रसूल डालीगंज शहर लखनऊ व मकसूद अहमद पुत्र स्व.मो.सिद्दीक नि.म.सं.179/7बारूदखाना गोलागंज लखनऊ का नाम बतौर सं.भू.द्वारा बैनामा दि.18.12.13अंकित किया जाये।ह.र.का./25.5.16	
	2	1.2870	₹ 39.10	6	0

कुल गाटे- दो   कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो आठ सात शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - तीन नौ दशमलव एक शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAM SURAT YADAV

सक्षम अधिकारी: PRADEEP KUMAR BAJPAI

तहसील: लखनऊ जनपद: लखनऊ

दिनांक एवं समय: 02-11-2017 01:05:08

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।